

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गवारड़ी
 मृ.अ.नि मेहनदुदिप की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायक
 तहसीलदार की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान न्यायालय अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आजगा तहसील रेलमगरा ज
 जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 180 में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अमूह पंजीकृत)	अमल (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आजगा	180	शोरी पत्नी स्व. नाना शिवा 1/2 श्रील, M.A.G. B शाखा धनेदिप	शोरी पत्नी स्व. नाना शिवा 1/2 श्रील, R.G.B. शाखा धनेदिप

उपखण्ड अधिकारी

लोरेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक-362

तारीख -

दिनांक - 16/10/25

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अनल. दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाव।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

लोरेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर